Cash Subsidy for New Industries

- SHRI CHINTAMANI *816. JENA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to lay a statement showing:
- (a) the details regarding the cash subsidies being provided by Government to the new industries being set up in economically backward districts at present; and
- (b) whether there have been any changes in their pattern of policy, contemplated by Government in view of the new 20-point Programme for the welfare of the weaker sections of the society?

THE MINISTER OF INDUSTRY AND STEEL AND MINES (SHRI NARAYAN DATT TIWARI): (a) and (b). While the primary responsibility for setting up industries rests with the State Governments, the Central Government reimburses the State Governments for expenditure incurred by them on Investment Subsidy to industrial units, including new units, set up in 101 backward districts notified by the Central Government. A total sum of Rs. 120 crores has been so reimbursed to the State Governments so far.

Under the IRD/IRYSEM programme eligible families setting up rural industries, businesses services are inter alia entitled to a subsidy of upto Rs. 3000/- (enhanced to Rs. 5000/- in the case of tribal beneficiaries). The Government keeps such programmes under constant review and will make appropriate modifications as necessary in the light of the new 20-Point Economic Programme.

फरार स्वतन्त्रता सेनानियों को स्वतन्त्रता सैनिक संम्मान पेंशन देने के लिए ग्रावेदन पत्र

***817.** श्री रामावतार शास्त्री: क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) क्या यह सच है कि सरकार ने

उन व्यक्तियों से जिनके विरुद्ध ब्रिटिश सरकार ने स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान गिरफ्तारी के वारंट जारी किये थे परन्तु जो फरार हो गये थे स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन के लिए धावेदन पत्र की प्राप्ति की म्रन्तिम तिथि 31 मार्च, 1982 निर्धारित की थी:

- (ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ग्रन्तिम तिथि की समाप्ति के बाद उपरोक्त फरार स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम ग्रावेदन पत्रों को स्वीकार करना रोक दिया है;
- (ग) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों का, जिनके भावेदन पत्र फरार स्वतन्त्रता सेना-नियों के नाम 31 मार्च, 1982 तक प्राप्त हुए थे और ऐसे व्यक्तियों का जिनकी पेंशन स्वीकृत की गई थी, राज्य वार ज्यौरा क्या है; भ्रीर
- (घ) सरकार का विचार इन शावेदन पत्रों को किस प्रकार निपटाने का है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी• वॅकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) 1-8-1980 से पेंशन योजना के उदार बनाये जाने के बाद भूमिगत स्वतन्त्रता सेनानियों समेत इच्छुक जो स्वतन्त्रता सेनानियों को जो पहले धावेदन नहीं कर सके/नहीं किया पेंशन के लिए 31-7-1981 तक मावेदन करने का अवसर दिया गया था। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की गैर-सरकारी सलाहकार समिति की सिफारिश पर इस तारीख को छः महीने बढाये जाने का प्रस्ताव किया गया था। इसका स्वतंत्रता सेनानियों के दावों के समयंन में श्रवेक्षित सबूत प्राप्त करने में उनकी कठिनाइयों को ध्यान में रख कर पूनरीक्षण किया गया था प्रीर प्रव